

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशों राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।</p>	<p>केन-बेतवा लिंक परियोजना (दौधन बांध) हेतु आवेदित 6017 हेक्टेयर वन भूमि जिला छतरपुर (4581.68 हेक्टेयर), जिला पन्ना (1334.80 हेक्टेयर) एवं जिला टीकमगढ़ (100.52 हेक्टेयर) वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) को उपयोग पर देने हेतु वन मंडल अधिकारी छतरपुर, वन मंडल अधिकारी टीकमगढ़, संयुक्त संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना एवं मुख्य वन संरक्षक वृत्त छतरपुर तथा क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना द्वारा की गई अनुशंसाओं एवं वन्य प्राणी संबंधी अनुमति के संबंध में राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 39वीं बैठक दिनांक 23.08.2016 के अनुक्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन्य प्राणी संभाग) के पत्र क्रमांक 6-109/2016 WL (39th Meeting) दिनांक 21.09.2016 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आवेदित 6017 हेक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग पर दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।</p>
----	--	---

तिथि :- 5/10/16
स्थान :- भोपाल

हस्ताक्षर *Daniel* 5/10/16
नाम - श्री
सरकारी मोहूर (एस. के. मण्डल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पू-प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल